

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

कार्यालय, मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

विषय:- परिचालन विभाग में स्टेमा0 पे बैण्ड 9300-34800, ग्रेड पे रु0 -4200/-, लेवल-06 में 25% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत चयन।

इज्जतनगर मण्डल के परिचालन विभाग में स्टेशन मास्टर, पे बैण्ड (9300-34800), ग्रेड पे रु0 4200/-, लेवल-06 की 25% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत कुल 51 रिक्तियों (सामान्य = 38, अजा0 = 09, अजजा0 = 04) को सामान्य चयन के माध्यम से भरा जाना है। रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 18.01.2024 एवं मुख्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 29.08.2024 के अनुसार रिक्तियों की गणना निम्न प्रकार की गयी है।

पदनाम/लेवल	समुदायवार रिक्ति विवरण				PwBD
	अना0	अजा0	अजजा0	कुल रिक्ति	
स्टेशन मास्टर/06, 25% पदोन्नति कोटा	38	09	04	51	03 (1-VH, 1-HH 1-LD)

नोट:-उक्त रिक्तियों में से 03 पद पीडब्ल्यूबीडी कोटा के कर्मचारियों से भी भरे जायेंगे। रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(NG)I/2019/PM4/8 दिनांक 01.07.2022 के साथ संलग्न डीओपीटी का ओ0एम0 सं0 36012/1/2020 के पैरा 13.1 के अनुसार यदि PwBD कोटा के अन्तर्गत पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त रिक्तियों को भरते हुये PwBD कर्मचारी हेतु आरक्षण को कैरी फॉरवर्ड माना जायेगा।

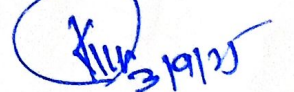
1- पात्रता मानदण्ड एवं योग्यता:-

रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(NG)I-2016/PM 1/12(Main File, RBE No.-79/2023 Dated 13.06.2023 के निर्देशानुसार उपर्युक्त चयन में अधिसूचना जारी होने की तिथि दिनांक 03.09.2025 को मैट्रिक उत्तीर्ण की अहर्ता रखते हो तथा उपरी आयु सीमा 45 वर्ष (अजा0 अजजा0 के मामले में 50 वर्ष) से अधिक न हो एवं प्रारम्भिक नियुक्ति पद पर 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण हो, निम्नलिखित श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारी आवेदन/विकल्प देने के पात्र होंगे:-

a) वेतनमान 5200-20200, ग्रेडपे-2400/-, लेवल-4 में कार्यरत शंटिंग जमादार, शंटिंग मास्टर, केबिनमैन ग्रेड-1, स्वीचमैन, वरिष्ठ सिगनलर एवं वरिष्ठ गाड़ी लिपिक

b) वेतनमान 5200-20200, ग्रेडपे-1900/-, लेवल-2 में कार्यरत लीवरमैन ग्रेड-1, प्वाइन्ट्समैन ग्रेड-1, शंटमैन ग्रेड-1, केबिनमैन ग्रेड-1। एवं गाड़ी लिपिक के अलावा छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे-1800/-, लेवल-1 के परिचालन विभाग में कार्यरत मैट्रिक उत्तीर्ण कर्मचारी जिनकी अधिसूचना जारी होने की तिथि को 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण है, भी चयन में सम्मिलित होने के लिये अपना विकल्प संलग्न प्रारूप पर दे सकते हैं।

c) उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रेडपे-4200/-, लेवल-6 में कार्यरत शंटिंग मास्टर/जमादार एवं मुख्य गाड़ी लिपिक भी आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु इनकी पदोन्नति पार्श्व स्थानान्तरण माना जायेगा एवं ये समान लेवल स्टेशन मास्टर, लेवल-6 में वेतन निर्धारण के पात्र नहीं होंगे।



2-आवश्यक चिकित्सा श्रेणी:-

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2018/H/5/14 (Policy) दिनांक 25.05.2018 के Annexure-IV के अनुसार स्टेशन मास्टर पद के लिये चिकित्सा श्रेणी A-2 (संरक्षा श्रेणी) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

3-चयन की प्रक्रिया:-

- रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(NG)I-2006/PM1/4 दिनांक 22.03.2006 (आरबीई सं0-35/2006) के अनुसार यह चयन व्यवसायिक अभिक्षमता के आधार पर होगा, जिसका निर्णय CBT और सर्विस रिकार्ड के बाद अभिक्षमता परीक्षण द्वारा किया जायेगा।
- रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0 E(NG)I-2008/PM7/4 SLP दिनांक 19.06.2009 (आरबीई संख्या-113/2009) में निहित निर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों को 60% उत्तीर्णांक लाना अनिवार्य होगा। 80% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का उत्कृष्ट (Outstanding) का वर्गीकरण नहीं किया जायेगा। अजा0/अजजा0 कर्मचारियों को संरक्षा श्रेणी के चयन हेतु CBT के उत्तीर्णांक में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
- उक्त नामिका रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0 E(NG)I-2008/PM7/4 SLP दिनांक 19.06.2009 (आरबीई संख्या-113/2009) एवं परिपत्र सं0 E(NG)I-2011/PM1/26 दिनांक 06.02.2014 (आरबीई संख्या-17/2014) में निहित निर्देशों के अनुसार समग्र रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट क्रम में की जायेगी।
- चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2018/H/5/14 (Policy) दिनांक 25.05.2018 के Annexure-IV के अनुसार ए-2 की चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ए-2 चिकित्सा श्रेणी उत्तीर्ण होने की दशा में प्रारम्भिक निर्धारित प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर भेजा जायेगा।
- निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने के उपरान्त उन्हें स्टेशन मास्टर, ग्रेडपे रु0 4200/-, लेबल-06 में अनन्तिम रूप से पदोन्नति दी जायेगी। प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें उनके मूल पद/कैंडर में वापस भेज दिया जायेगा।

4-चयन पूर्व कोचिंग:-

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 88-E(SCT)I/42/2 RBE No. 71/91 दिनांक 08.04.1991 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों को 03 से 04 सप्ताह की अवधि के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित प्री-सेलेक्शन कोचिंग प्रदान की जायेगी। चयन पूर्व कोचिंग पूर्ण होने के उपरान्त नियंत्रक अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि सभी पात्र अजा0/अजजा0 के कर्मचारियों को परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को कवर करते हुए 03 से 04 सप्ताह की अवधि के लिए प्री-सेलेक्शन कोचिंग प्रदान की गई है। यदि किसी कर्मचारी ने चयन पूर्व कोचिंग के लिये अपनी असहमति व्यक्त की है तो इस संबंध में लिखित घोषणा पत्र इस कार्यालय में भेजनी होगी।

5-CBT:-

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(NG)I-2018/PM1/4 (आरबीई संख्या-196/2018) दिनांक 14.12.2018 एवं E(NG)I/2018/PM1/4 आरबीई संख्या-194/2019 दिनांक 14.11.2019 के अनुसार प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी होगा और 100% वस्तुनिष्ठ होगा। प्रश्न पत्र में 110 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें 90 मिनट में कुल 100 प्रश्न ही हल करने होंगे। कुल अंकों का 10% प्रश्न राजभाषा नीति और नियम से सम्बन्धित होंगे जिन्हें हल करना अभ्यर्थी के लिये अनिवार्य नहीं होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/3 ऋणात्मक अंक का प्रावधान लागू रहेगा।

CBT संलग्न पाठ्यक्रम (अनुलग्नक-ख) के अनुसार रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E(NG)/2022/PM1/36 आरबीई सं० 05/2024 दिनांक 16.01.2024 के अनुसार आन लाइन Computer Based Test (CBT) के माध्यम से होगी।

6-CBT का पाठ्यक्रम:-

मण्डल स्तर पर उपलब्ध CBT का पाठ्यक्रम अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न है। मुख्यालय द्वारा समेकित पाठ्यक्रम प्राप्त होने पर संलग्न पाठ्यक्रम संशोधनीय/परिवर्तनीय होगा जिसके सम्बन्ध में अलग से सूचित किया जायेगा।

सम्बन्धित पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों में निर्गत अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार करें। साथ ही अधिसूचना को नोटिस बोर्ड पर चिपकाने की व्यवस्था करेंगे। यदि कोई कर्मचारी अवकाश/सिक, ट्रेनिंग, प्रतिनियुक्ति, ड्यूटी (ओडी) इत्यादि पर हो तो उनके घर के वर्तमान पते पर इसकी सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी को परीक्षा में आने व कार्य पर वापस जाने हेतु यात्रा पास अपने स्तर से जारी करेंगे।

इच्छुक और पात्र कर्मचारी संलग्न आवेदन/विकल्प के प्रारूप (अनुलग्नक-क) को पूर्ण रूप से वांछित विवरण भरने के उपरान्त नियंत्रक अधिकारी से फोटो तथा हस्ताक्षर सत्यापित कराकर इस कार्यालय में/सम्बन्धित पर्यवेक्षक को दिनांक 26.09.2025 तक जमा करना होगा। सभी अभ्यर्थी आवेदन के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कर्मचारी को संबन्धित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

PwBD अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

नियंत्रक अधिकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्पों का बन्ध बनाकर विशेष पत्रवाहक द्वारा दिनांक 29.09.2025 तक इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

विकल्प देने वाले कर्मचारीगण इस अधिसूचना को चयन हेतु लिखित परीक्षा की तैयारी की 21 दिन की तत्परता सूचना समझे। लिखित परीक्षा अल्प समय की सूचना पर कभी भी आयोजित की जा सकती है, जिसकी तिथि बाद में सूचित की जायेगी।

संलग्न-1-आवेदन का प्रारूप (अनुलग्नक-क)

2-पाठ्यक्रम संलग्न है (अनुलग्नक-ख)

(आनन्द कुमार)

सकाधि/आईआर

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)

इज्जतनगर

सं०: का/254/स्टेमा0/25% पदो0/परि/।।

दिनांक 03.09.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महाप्रबन्धक/कार्मिक/गोरखपुर को उनके पत्र सं० NER-HQ0PERS(POLI)33/2024

Dated-04.07.2025 एवं 02.07.2025 के सन्दर्भ में।

2- वमपरिप्र/इज्जतनगर।

3- वमसंधि/इज्जतनगर।

4- प्रधानाचार्य क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/गाजीपुर।

5-मुख्य गाड़ी नियंत्रक (इंचार्ज)/नियंत्रण कार्यालय इज्जतनगर

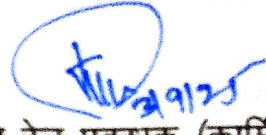
6- सभी स्टेमा0/स्टेधी0/इज्जतनगर मण्डल

7- सभी यातायात निरीक्षक/इज्जतनगर।



8- गोपनीय सहायक/वमंकाधि/इज्जतनगर।

9- मण्डल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे मेन्स कांग्रेस/एस0सी0/एस0टी0/अपिव0 कर्मचारी
एसोसिएशन/इज्जतनगर।


कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
इज्जतनगर

सेवा में,
मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

अनुलग्नक-क

विषय:- स्टेशन मास्टर पे लेवल-6 के 25% विभागीय पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत चयन की CBT में सम्मिलित होने का विकल्प।
संदर्भ:- मंरेप्र/कार्मिक/इज्जतनगर की अधिसूचना सं० का/254/स्टेमा०/25%/परि/।।
दिनांक 03.09.2025

उपरोक्त सन्दर्भित अधिसूचना के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर, 25% विभागीय पदोन्नति कोटा, वेतनमान (9300-34800), ग्रेड पे रू० 4200/-, लेवल-6 के पद पर चयन में सम्मिलित होने हेतु अपना विकल्प देता/देती हूँ तथा उक्त पद पर चयन होने पर मनाही नहीं दूँगा/दूँगी।

मेरा सेवा विवरण निम्न प्रकार है:-

1-कर्मचारी का नाम

2-पिता/पति का नाम

3-पद/लेवल/ग्रेड पे -

4-वेतनमान-

5-तैनाती स्टेशन-

6-जन्म तिथि-

7A-नियुक्ति तिथि-

7B-नियमित नियुक्ति तिथि-

8-वर्तमान पद पर पदोन्नति तिथि-

9-शैक्षिक योग्यता-

10-तकनीकी योग्यता (यदि कोई हो)-

11-समुदाय (यदि अजा/अजजा के हैं तो उल्लेख कर प्रमाण पत्र संलग्न करें)-

12-कर्मचारी सं०-

13-HRMS ID -

नवीनतम सत्यापित
फोटो

अग्रसारित

स्टेमा०/स्टेथी०/मुगानि० के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर सहित
दिनांक-

कर्मचारी के हस्ताक्षर
नाम-
पद-
दिनांक-
मोबाईल सं०-

स्टेशन मास्टर की 25 % विभागीय चयन हेतु पाठ्यक्रम

- 1-भारतीय रेल के उद्देश्य एवं परिचालन विभाग के कार्य।
- 2-भारतीय रेल में रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय एवं मण्डल स्तर परसंगठनात्मक ढाँचा।
- 3-सामान्य एवं विशिष्ट नियम पुस्तिका का महत्वपूर्ण परिचालनिक परिभाषाएँ।
- 4-स्टेशनों का वर्गीकरण एवं न्यूनतम सिगनलो की आवश्यकता।
- 5-स्थिर सिगनलो के प्रकार, स्थिति आस्पेक्ट तथा संकेतार्थ
- 6-पटाखा सिगनल-विवरण उपयोग, रख-रखाव एवं जाँच।
- 7-शंट सिगनल प्रकार एवं संकेतार्थ।
- 8-आगमन, प्रस्थान एवं शंट सिगनलो के खराब होने की स्थिति में उन्हें पार करने के नियम
- 9-अंतपश्चिम एवं इसके विभिन्न स्टेनडर्ड प्रकार
- 10-अलगाव एवं अलगाव के साधन
- 11-शंटिंग करने के नियम एवं सावधानियों, ढलान पर शंटिंग की विशेष सावधानियाँ।
- 12-गाड़ियों की मार्शलिंग एवं सम्बन्धित नियम।
- 13-गाड़ियों की संरक्षा मार्शलिंग एवं सम्बन्धित नियम
- 14-निम्न स्थितियों में दायित्व

- i. गाड़ी में आग लगना।
- ii. गाड़ी विच्छेदन।
- iii. गाड़ी में गति धुरा
- iv. गाड़ी में फीट टायर
- v. गाड़ी में ब्रेक वाईडिंग
- vi. गाड़ी में स्प्रिंग का टूटा देखा जाना
- 15-सवारी एवं माल गाड़ियों के वाहनों के कूट (कोड)
- 16-स्टाक रिपोर्ट
- 17-वाहन निर्देशिका एवं उपयोग
- 18-मार्शलिंग यार्ड में उपयोग लिए जाने वाले विभिन्न फार्म एवं पंजिकाएँ
- 19-सवारी एवं माल गाड़ियों के इंजन एवं ब्रेक यान में निर्धारित निर्वाह वायुदाव की न्यूनतम मात्रा।
- 20-समपार फाटक, प्रकार एवं वर्गीकरण।
- 21-समपार फाटक पर उपलब्ध संरक्षा उपकरण एवं उनके उपयोग।
- 22-दुर्घटना में गंभीर दुर्घटना एवं प्रकार।
- 23-गंभीर दुर्घटना की स्थिति में आपके दायित्व एवं कार्य।
- 24-दुर्घटना से बचाव के उपाय।
- 25-स्टेशन पर रनिंग लाइन पर लोड स्टेबुल किये जाने पर सावधानियाँ।
- 26-विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिए निर्धारित ब्रेक पावर, ब्रेक पावर प्रमाण-पत्र।
- 27-रनिंग लाइन अवरुद्ध होने पर प्रोटेक्शन के नियम।
- 28-सतर्कता आदेश
- 29-गाड़ी का पूर्णगमन सुनिश्चित करने के नियम।
- 30-विभिन्न स्थितियों में निर्धारित पर्याप्त दूरी।
- 31-विभिन्न परिस्थितियों में गति प्रतिबंध।
- 32-गाड़ी को प्राइवेट करने के नियम एवं सावधानियाँ
- 33-स्टेशन कार्य प्रणाली।
- 34-आवातन पंजिका।
- 35-गाड़ी के रनप गुजरन पर प्रोसीड सिगनल देने के नियम एवं सावधानियाँ



- 36-गाड़ी में ब्रेकवान में पीछे वाहन तथा निरीक्षण यान लगाए जाने के नियम
- 37-क्रेक हैंडिल, इसके द्वारा काटों को सेट करना
- 38-ओ. डी. सी. वर्णन, प्रकार एवं सावधानियाँ
- 39-प्राइवेट नम्बर पुस्तिका ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, प्रेषित लागबुक एवं नम्बरटेकर बुक
- 40-दुर्घटना सहायता गाड़ी एवं दुर्घटना चिकित्सा मोबाईल वान।
- 41-राजभाषा के नियम एवं उपयोग।
- 42-स्टेशन मास्टर के प्रमुख कार्य।
- 43-अंकगणित का ज्ञान भिन्न, समीकरण, लाभ-हानि, प्रतिशत, व्याज, चक्रवृद्धि व्याज आदि।
- 44-विद्युतीकरण खण्ड में गाड़ी संचालन में सावधानियाँ।
- 45-राजभाषा नीति एवं नियम।

